रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274775
SG-DL-E-24072026-274775

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 194]	DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 118

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

फा. सं. 16 (866)/शह0 विका0/डब्ल्यू/2025/021733810/489.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 27.06.2013 की अधिसूचना संख्या 16(4)/शह0वि0/डब्ल्यू/2012/ 398 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात, दिल्ली जल बोर्ड में 'चिकित्सक (जीडीओ) ग्रेड–II' के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड, 'चिकित्सक (जीडीओ) ग्रेड–II' भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।

   (II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएंः**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यताः**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **उपबंध शिथिल करने की शक्तिः**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**—इन विनियमनों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	चिकित्सक (जीडीओ) ग्रेड—II
2.	**पदों की संख्या**	:	17*(2025) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर—10 (रुपये 56100—177500/—)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक नहीं **टीप—1 :** केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। **टीप—2 :** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य :** (i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की तृतीय अनुसूची (लाइसेंस प्राप्त योग्यताओं के अतिरिक्त) के भाग II की प्रथम या द्वितीय अनुसूची मे शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल शैक्षिक योग्यता धारक को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना चाहिए।

			(ii) अनिवार्य चक्रानुक्रमी अंतः शिक्षुता का पूर्ण होना। **टीप**–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **वांछनीय** : एक विषय के रूप में हिंदी/संस्कृत के साथ मेट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	01 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा **टीपः**–पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड – अध्यक्ष 2. सदस्य (प्रशासन) – सदस्य 3. निदेशक (ए एवं पी) – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर
पुनीत कुमार पटेल, अतिरिक्त सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2026

F. No. 16 (866)/UD/W/2025/021733810/489.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of Government of National Capital Territory, Urban Development Department's Notification No. 16 (4) /UD/W/ 2012/398 dated 27.06.2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of competent authority

(with prior consultation of Union Public Service Commission), for regulating the method of recruitment to the post of 'Doctor (GDO) Grade-II' in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:—

1. **Short title and commencement:—**(I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Doctor (GDO) Grade-II' Recruitment Regulations, 2025.

(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix**:—The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:─**No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions**:—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	**DOCTOR (GDO) GRADE-II**
2.	No. of posts	17*(2025) subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Category 'A'
4.	Level in the pay matrix.	Level 10 (Rs.56100 - 177500) in the pay matrix.
5.	Whether selection or non-selection post.	not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. **Note 1:** Relaxable for government servants and employees of the Delhi Jal Board upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the central government. **Note 2:** the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by competent authority.
7.	Educational & other qualification required for direct recruits	**Essential:—** (i) A recognized medical qualification included in the first or second schedule of part ii of the third schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council act, 1956. holders of educational qualification fixations included in part ii of the third schedule should fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian medical council act, 1956. (i) Completion of compulsory rotating internship

		Note:—qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **desirable:—**passed matriculation examination with Hindi/ Sanskrit as a subject.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of probation, if any.	1 year
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion/deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment **Note:—**vacancies caused by the incumbent being away on the deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under central government holding analogous posts and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion deputation/ absorption to be made.	Not applicable
12	If a DPC exists, what is its composition	CATEGORY 'A' DEPARTMENTAL CONFORMATION COMMITTEE (FOR CONFORMATION CONSISTING OF): 1. CEO, DJB — CHAIRMAN 2. MEMBER(ADMINISTRATION) — MEMBER 3. DIRECTOR (A&P) — MEMBER
13.	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.24 16:10:18 +05'30'